



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 39] नई दिल्ली, सितम्बर 23—सितम्बर 29, 2018, शनिवार/ आश्विन 1— आश्विन 7, 1940
No. 39] NEW DELHI, SEPTEMBER 23—SEPTEMBER 29, 2018, SATURDAY/ ASVINA 1— ASVINA 7, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 312.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, तकनीकी सहायक, भर्ती नियम, 1986 का, उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय में तकनीकी सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

- (1) इन नियमों का नाम गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, तकनीकी सहायक, भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—ऐसा कोई व्यक्ति.—

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

अनुलग्नक

अनुसूची

पद का नाम (1)	पदों की संख्या (2)	वर्गीकरण (3)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर (4)
तकनीकी सहायक	01* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (रु. 29200-92300)

चयन या अचयन पद (5)	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा (6)
लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पणी: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख खण्ड और हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्प्रा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(7)	(8)
अनिवार्य: 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री; और 2. हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान। वांछनीय: कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान और वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेड शीट्स, पॉवर प्वाइंट आदि जैसे एप्लीकेशनों के उपयोग में प्रवीणता।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : हां

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(9)	(10)
सीधी भर्ती और पदोन्नति वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) अथवा आमेलन द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
1. केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध-सरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठनों के वे अधिकारी जो : (क) (i) मूल काडर या विभाग में स्थायी आधार पर सदृश पदों पर कार्य कर रहे हों; या (ii) मूल काडर या विभाग में स्तर-4 (रु. 25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उम श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो, और (ख) जो कॉलम 7 में निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों, टिप्पण 1. प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2. प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या समामेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को '56 वर्ष से अधिक नहीं' होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) :-	लागू नहीं होता।
1. उप सचिव या निदेशक (प्रशासन), गृह मंत्रालय —अध्यक्ष	
2. उप सचिव या निदेशक, राजभाषा विभाग —सदस्य	
3. उप सचिव या निदेशक, गृह मंत्रालय —सदस्य	

[फा. सं. ए-12018/01/2016-प्रशा.V]

संजय मेहता, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 25th September, 2018

G.S.R. 312.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Technical Assistant Recruitment Rules, 1986, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technical Assistant in the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Technical Assistant, Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these Rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the Personal Law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this Rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of Persons.

6. Saving.—Nothing in these Rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Technical Assistant	01* (2018) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 (₹29200-92300/-).

Whether selection post or non-selection post (5)	Age-limit for direct recruits (6)
Not applicable	Between 18 to 27 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory Administration of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.)

Educational and other qualifications required for direct recruits (7)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees (8)
Essential: (i) Bachelor degree from a recognised University; and (ii) Working knowledge of Hindi. Desirable: Working knowledge of computers and proficiency in using applications such as Word Processor, Spread Sheets, Power Point, etc.	Age: No Educational Qualification: Yes

Period of probation, if any (9)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods (10)
Two years for direct recruits and for promotees.	Deputation (including short term contract) or absorption failing which by Direct Recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made (11)
Deputation: 1. Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administration or recognised Research Institutions or Universities or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous organisations : (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years regular service in the grade after appointment thereto on regular basis in level-4 (₹25500-81100/) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 1. The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2. The maximum age-limit for appointment by deputation (including Short Term Contract) or absorption shall be 'Not exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is the Composition (12)	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment (13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Deputy Secretary or Director (Administration), Ministry of Home Affairs — Chairman 2. Deputy Secretary or Director, Department of Official Language — Member; and 3. Deputy Secretary or Director, Ministry of Home Affairs — Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/01/2016-Ad.V]

SANJAY MEHTA, Under Secy.

(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2018

सा. का. नि. 313.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय वर्ग 3 और वर्ग 4 (भर्ती) नियम, 1957 को, जहां तक उनका संबंध कलाकार-सह-नक्शानवीस के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर में कलाकार-सह-नक्शानवीस के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर, कलाकार-सह-नक्शानवीस भर्ती नियम, 2018 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—पद से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति.-
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।